संख्या-112/2018/3784 ई-2/तेरह-2018-72/2015

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 20 दिसम्बर,2018

विषय:-मेसर्स मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लि0, उन्नाव की क्षमता 7 लाख हेक्टोलीटर से बढ़ाकर 12 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-74/दो-प्रा0डी0-78/मोहन गोल्ड वाटर, दिनांक 08 अक्टूबर,2018 तथा पत्र संख्या-जी-90/दो-प्रा0डी0-78/मोहन गोल्ड वाटर, दिनांक 28 नवम्बर,2018 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-11-2018 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित कार्यवृत्त संख्या-3807 ई-2/तेरह-2018-382/99, दिनांक 04 दिसम्बर,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्रों में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 23-12-2011 द्वारा मे0 मोहन गोल्ड वाटर ब्रिवरीज लि0 को प्रदान की गई वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 7 लाख हेक्टोलीटर को बढ़ा कर 12 लाख हेक्टोलीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति संगत शासनादेशों के अधीन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि यवासवक द्वारा प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इनवायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने तथा यवासवनी की क्षमता में वृद्धि करने के क्रम में निर्गत अनुज्ञापन पर उसकी अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया का समय चक्र तथा अधिकतम् व न्यूनतम् वार्षिक उत्पादन क्षमता का भी स्पष्ट अंकन कर किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in